कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

इंदिरा गाँधी नहर भवन, डॉ. भीम राव अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर–302005

E-mail Address :- budgetwr@gmail.com

क्रमांक :– f.2(99)/AS/I/Cell/15/Cut file./ 206-11 दिनांक :– 11/01/2018

मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन सम्भाग,
नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर/
कोटा/ हनुमानगढ (उत्तर)/CAD/IGNB/Bikaner

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन सम्भाग,
जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।

विषय :– Unbalance Bid प्रस्तुत करने पर Additional Performance Security प्राप्त करने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की संवेदक के द्वारा Unbalance Bid प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार Additional Performance Security प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावे।

क्रम सं.	जी शिडयूल की राशि	विवरण	अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति
1	5 करोड रुपये से कम होने पर	बिडर द्वारा जी अनुसूची दर से 15 प्रतिशत कम से अधिक कम दर प्रस्तुत की जाती है तो सफल बोलीदाता से अन्तर की राशि (15 प्रतिशत दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जाएगी।	बिडर द्वारा प्रस्तुत दर (–)15 प्रतिशत
2	5 करोड रुपये से अधिक एवं 30 करोड तक होने पर	बिडर द्वारा जी अनुसूची दर से 10 प्रतिशत कम से अधिक कम दर प्रस्तुत की जाती है तो सफल बोलीदाता से अन्तर की राशि (10 प्रतिशत दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जाएगी।	बिडर द्वारा प्रस्तुत दर (–)10 प्रतिशत
3	30 करोड रुपये से अधिक होने पर	बिडर द्वारा जी अनुसूची दर से 5 प्रतिशत कम से अधिक कम दर प्रस्तुत की जाती है तो सफल बोलीदाता से अन्तर की राशि (5 प्रतिशत दर से जितनी दर कम है) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ली जाएगी।	बिडर द्वारा प्रस्तुत दर (–)5 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार कम दर प्रस्तुत करने पर बोलीदाता को अन्तर प्रतिशत (जी शिडयूल से गुणा कर) के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि अनुबन्ध सम्पादन के समय जमा करानी होगी व कार्य पूर्ण होने पर लौटाई जाएगी। न्यूनतम बोलीदाता को दर स्वीकार करने का पत्र जारी किया जावेगा, इस पत्र के 7 दिवस मे अन्तर राशि जमा करायी जा सकेगी। यदि निर्धारित अवधि मे अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही करायी जाती है तो 2 प्रतिशत बिड सिक्युरिटी जब्त कर ली जावेगी। यदि कार्य संतोषजनक रुप से पूर्ण नही किया जाता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति के साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी जब्त कर ली जायगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति यदि बैंक गारंटी के रुप मे ली जाती हो तो बैंक गारंटी Payable at सबंधित खण्डिय अधिकारी के कार्यालय क्षेत्र मे लिया जाना सुनिश्चित करावे।
उक्त सम्बन्ध मे प्रावधान बिड डाक्यूमेन्ट मे भी रखना सुनिश्चित करे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Sd/- 9.1.18
(एम.आर. डूडी)
मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर

O/C